(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Brigadier Personnel, Assam Rifles - Chairman; 2. Colonel Records, Assam Rifles - Member; 3. Staff Officer 1(Administration) of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles - Member; 4. One Technically Officerfrom Engineers of of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 5. Two Junior Commissioned Officers of Assam Rifles not below the rank of Subedar one belonging tominority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Member.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/ERR/Gp B Comb/E&M/2014]

R. JOSES VASHUM, Under Secy. (Pers-II)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में निरीक्षक (अनुसचिवीय), (परीक्षा कक्ष के नियंत्रक) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, निरीक्षक (अननुसचिवीय) (परीक्षा कक्ष नियंत्रक), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2023 है।

   (ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होगीं, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निरीक्षक (अनुसचिवीय), परीक्षा कक्ष नियंत्रक।	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	असाधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय,।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रूपये) ।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस संगठन या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठन के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) के समकक्ष में पांच साल की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) परीक्षा आयोजित करने, संकलन करने और परिणाम घोषित करने का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

वांछित: (i) प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव। (ii) परीक्षा और परिणाम स्वचालन सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/70/2018- पुलिस प्रशिक्षण]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd October,2023

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Ministerial), (Controller of Examination Cell) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely: -

1 **Short title and commencement.** - (l) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Inspector (Ministerial) (Controller of Examination Cell), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspector (Ministerial) (Controller of Examination Cell).	1 (2023)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police Organisation or State or Union territories Police Organisation: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Bachelors degree from a recognised University or Institute; (ii) three years' experience in conducting examinations, compilation and declaration of results. **Desirable:** (iii) one year experience in administration.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(iv) two years' experience in software application for examination and results automation software. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/70/2018-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2023.

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित–अलिपिकवर्गीय कर्मचारिबृन्द) भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवययक या समीचीन है, वहॉं वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।